रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

सं . 107 /2016-सीमाशुल्क (एनटी)

सा.का.नि.786 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतदद्वारा निर्यात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) विनियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को निर्यात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से ये प्रभावी होंगे।

2. निर्यात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) विनियमावली, 1976 (एतदपश्चात उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 5 में, -

क. उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(1) (क) प्री चेक-इन पैसेंजर मैनीफेस्ट फ्लाइट के प्रस्थान से 12 घटे पहले दिया जाएगा।

(ख) फाइनल पैसेंजर मैनीफेस्ट भारत में स्थित प्रस्थान के पत्तन से प्रस्थान करने से 15 मिनट पहले दिया जाएगा";

(ख) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(2) मैनीफेस्ट को भारतीय सीमाशुल्क को फ्लैट फाइल फार्मेट या यूनाइटेड नेशंस/प्रशासन, वाणिज्य तथा परिवहन यात्री सूची, अग्रिम यात्री सूचना हेतु इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (यूएन/ईडीआईएफएसीटी पैक्स एलएसटी एपीआई) मैसेज फार्मेट में अनुबंध के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से भेज दिया जाएगा";

(ग) उप विनियम (3) में शब्द "संबंधित" शब्द के पश्चात निम्नलिखित शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'' प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क अथवा ''

3.उक्त विनियमों में, विनियम 5 के पश्चात तथा फार्म सं. I से पहले निम्नलिखित अनुबंध को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

अनुबंध

(i). फ्लैट फाइल नेमिंग कंवेंशन:

फाइल के नाम की संरचना निम्नानुसार होगी:- **160401पीजेएफकेडीईएलबीवाई161.एपीआई** जहां

160401	वर्ष/महीना/दिन फार्मेट में 6 डिजिट की निर्धारित प्रस्थान तिथि
पी/सी	पैक्स के लिए पी तथा चालक दल के लिए सी
जेएफके	प्रस्थान एयरपोर्ट कोड (अंतिम लैग पोर्ट)
डीईएल	3 अंकों का गंतव्य एयरपोर्ट कोड (डीईएल = दिल्ली)
बीवाई	2/3 डिजिट आईएटीए कैरियर कोड
161	3/4 डिजिट आईएटीए फ्लाइट नंबर
.एपीआई	फाइल एक्सटेंशन

(ii) फाइल संरचना ब्यौरा:

एक फाइल संरचना में एक विशेष फ्लाइट के पैक्स /चालक दल के लिए पूरा मैनीफेस्ट शामिल होगा। प्रत्येक फ्लाइट के लिए चालक दल तथा पैक्स के लिए अलग से फाइल भेजने की आवश्यकता है।

(iii). फील्ड का ब्यौरा / विवरण:

क्रम सं.	फील्ड का विवरण	लंबाई	प्रकार	टिप्पणी
1.	फ्लाइट कैरियर कोड	3	कैरेक्टर	आईएटीए कैरियर कोड
2.	फ्लाइट नंबर	4	नंबर	3/ 4 डिजिट अंकीय
3.	फ्लाइट की निर्धारित प्रस्थान की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
4.	फ्लाइट के निर्धारित प्रस्थान का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
5.	फ्लाइट के वास्तविक प्रस्थान की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
6.	फ्लाइट के वास्तविक प्रस्थान का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
7.	फ्लाइट के निर्धारित आगमन की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
8.	फ्लाइट के निर्धारित आगमन का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
9.	भारत से बाहर फ्लाइट लास्ट लेग पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
10.	भारत में फ्लाइट के आगमन का प्रथम पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
11.	फ्लाइट में चालक दल की संख्या	4	नंबर	पैक्स फाइल हेतु 0
12.	फ्लाइट में पैक्स की संख्या	4	नंबर	चालक दल फाइल हेतु 0
13.	पीएनआर	10	कैरेक्टर	यात्रियों के नाम का रिकार्ड लोकेटर
14.	पैक्स /चालक दल की क्रम संख्या	4	नंबर	फाइल के अंदर क्रमानुसार क्रम संख्या
15.	पैक्स /चालक दल की स्थिति	1	कैरेक्टर	टी=पारगमन,

				डी=जहाज से उतरना
16.	पैक्स /चालक दल का प्रकार	3	कैरेक्टर	सीआरडब्ल्यू=चालक दल पैक्स =यात्री
17.	दस्तावेजों का प्रकार	2	कैरेक्टर	पी=पासपोर्ट, ओ=अन्य
18 #	दस्तावेज नंबर	20	कैरेक्टर	अन्य यात्रा दस्तावेजों के लिए पासपोर्ट नंबर/यूनिक आईडी नंबर
19	दस्तावेज समाप्ति की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
20.	दस्तावेज जारी करने वाला देश	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
21.	पैक्स /चालक दल का नाम	100	कैरेक्टर	पासपोर्ट/अन्य यात्रा दस्तावेज के अनुसार
22.	पैक्स /चालक दल की जन्म तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
23.	पैक्स /चालक दल की राष्ट्रीयता	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
24.	पैक्स /चालक दल का लिंग	1	कैरेक्टर	महिला/पुरूष
25.	पैक्स /चालक दल एंबार्क एयरपोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
26.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क एयरपोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
27.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का पता	40	कैरेक्टर	उस देश में पैक्स का पता जहां जहाज उतरता है(उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नंबर आदि)
28.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का शहर	35	कैरेक्टर	उस देश के विमान पत्तन का नाम, जहां जहाज उतरता है
29.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का पोस्टल कोड	9	कैरेक्टर	उस स्थान के पते का पोस्टल कोड, जहां जहाज उतरता है
30	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का देश	3	कैरेक्टर	उस देश का 3-कैरेक्टर कंट्री कोड, जहां जहाज उतरता है
31.	पैक्स /चालक दल का रिहायशी देश कोड	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
32.	देश से बाहर अवस्थित कॉल का बाद का स्थान/पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
33.	चालक दल का अन्य दस्तावेज कोड	2	कैरेक्टर	केवल चालक दल के मामले में, लाइसेंस कोड के लिए एल
34.	चालक दल की अन्य दस्तावेज संख्या	20	कैरेक्टर	चालक दल लाइसेंस नंबर
35.	चालक दल के अन्य दस्तावेज की समाप्ति तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन फार्मेट में लाइसेंस की समाप्ति की तिथि
36.	चालक दल के अन्य दस्तावेज को जारी करने वाला देश	3	कैरेक्टर	लाइसेंस जारी करने वाले 3-कैरेक्टर कंट्री का कोड
37.	चालक दल का प्रकार	3	कैरेक्टर	यूएन/ईडीआईएफएसीटी में उल्लिखित 3-कैरेक्टर चालक दल का प्रकार
38.	पैक्स /चालक दल का घर का पता	70	कैरेक्टर	गृह स्थान का पता (उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नाम और नंबर आदि)
39.	पैक्स /चालक दल का गृह नगर	70	कैरेक्टर	गृह नगर का नाम
40.	पैक्स /चालक दल का गृह	70	कैरेक्टर	गृह राज्य का नाम

	राज्य			
41.	पैक्स /चालक दल का मूल देश	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
42	पैक्स /चालक दल का जन्म स्थान	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान का पता (उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नाम और नंबर आदि)
43.	पैक्स /चालक दल के जन्म का शहर	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान के शहर का नाम
44.	पैक्स /चालक दल के जन्म का राज्य	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान के राज्य का नाम
45.	पैक्स /चालक दल का मूल देश	3	कैरेक्टर	जन्म के पते का 3-कैरेक्टर कंट्री कोड
46.	वीजा नंबर	15	कैरेक्टर	यात्रा दस्तावेज में दिया गया वीजा नंबर
47.	पैक्स /चालक दल को वीजा जारी करने की तारीख	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
48.	पैक्स /चालक दल को वीजा जारी करने का स्थान	50	कैरेक्टर	वीजा जारी करने का स्थान
49.	ईडीआईएफएसीटी वर्जन नंबर	10	कैरेक्टर	यूएस/यूएनईडीआईएफएसीटी का वर्जन नंबर
50.	ईडीआईएफएसीटी रिलीज नंबर	10	कैरेक्टर	यूएस/यूएनईडीआईएफएसीटी का रिलीज नंबर
51.	कैरियर संपर्क सूचना	50	कैरेक्टर	संपर्क करने के लिए कैरियर के नोडल अधिकारी का नाम
52.	कैरियर संपर्क नंबर	50	कैरेक्टर	संपर्क करने वाले व्यक्ति का फोन नंबर
53.	कैरियर संपर्क फैक्स	50	कैरेक्टर	संपर्क करने वाले व्यक्ति का फैक्स नंबर

#कुछ देशों अर्थात वर्तमान में नेपाल और भूटान के लिए पासपोर्ट नंबर अनिवार्य नहीं है और उन मामलों में दस्तावेज प्रकार में **'ओ'** (अन्य) मूल्य को उल्लिखित किया जाए तथा यूनिक दस्तावेज नंबर दिया जाए।

• रिकार्ड में '।' (पाइपलाइन) द्वारा आंकड़ों के प्रत्येक घटक को अलग किया जाए (प्रत्येक रिकार्ड में कुल 53 '।' (पाइपलाइन) होनी चाहिए।

• आंकड़ों के विशिष्ट घटक के संबंध में मूल्य उपलब्ध न होने के मामले में शून्य मूल्य (स्पेस नहीं) दिया जाए।

• पैक्स के लिए प्रत्येक रिकार्ड एक सिंगल लाइन में हो, लाइन विभाजक की आवश्यकता नहीं है।

केवल पैक्स के लिए फाइल की संरचना का उदाहरण

B Y | 1 6 1 | 2 0 1 6 0 4 0 1 | 1 0 1 0 | | | 2 0 1 6 0 4 0 2 | 0 7 4 5 | L H R | D E L | 0 | 1 6 0 | H K 2 5 6 L | 2 0 | D |
P A X | P | A 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 0 0 4 0 1 | G B R | J O H N D S O N | 7 5 0 5 0 6 | G B R | M | J F K | D E L | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J M A R T I N | 9 1 1 1 2 7 4 6 8 8 2 3 | | |

(iv) यूनाइटेड नेशंस/प्रशासन, वाणिज्य तथा परिवहन यात्री सूची, अग्रिम यात्री सूचना हेतु इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (यूएन/ईडीआईएफएसीटी पैक्स एलएसटी एपीआई) मैसेज फार्मेट में सूचना भेजने के लिए एयरलाइंस/कैरियर्स डब्ल्यूसीओ/आईएटीए/आईसीएओ पैसेंजर्स लिस्ट मैसेज (पैक्स एलएसटी) कार्यान्वयन गाइड (www.wcoomd.org) का संदर्भ लें।

4. उक्त विनियमों में, फार्म ।। के स्थान पर निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''फार्म II

(विनियम 3 देखें)

पैसेंजर मैनीफेस्ट

मालिक/ऑपरेटर.....राष्ट्रीयता और पंजीकरण के चिह्न.....

फ्लाइट नं.....दिनांक.....

प्रस्थान स्थल .....उतरने का स्थल.....

(स्थान और देश) (स्थान और देश)

"I. फ्लाइट की सूचना :	केवल मालिक/ऑपरेटर के प्रयोग के लिए	केवल सरकारी उपयोग के लिए
क)एयरलाइन कैरियर कोड और फ्लाइट नंबर		
ख)प्रस्थान एयरपोर्ट		
ग)निर्धारित प्रस्थान तिथि और समय		
घ)वास्तविक प्रस्थान की तिथि और समय *		
ड़.) आगमन एयरपोर्ट		
च) निर्धारित आगमन तिथि और समय		
छ) देश से बाहर अवस्थित कॉल का बाद का पोर्ट		
ज) फ्लाइट में चालक दल की संख्या		
झ) फ्लाइट में यात्रियों की संख्या		
II. यात्रियों की सूचना :		
क)मैनीफेस्ट में क्रम संख्या		
ख)गुजरने या उतरने की स्थिति		
ग)यात्रियों का नाम		
घ)लिंग		
ड़)जन्मतिथि		
च)राष्ट्रीयता		
छ)देश में प्रारंभिक निवास का पता		
ज)जन्म स्थान		
झ)जन्म का पता *		
III. यात्रा की सूचना :		
क)यात्रा शुरू करने वाला एयरपोर्ट		
ख)गंतव्य एयरपोर्ट		
ग)यात्रियों के नाम रिकार्ड करने का लोकेटर		
घ)भारत में रहने का पता *		
ड़)रिहायशी देश का कोड *		
IV. यात्रा दस्तावेज की सूचना :		
क)दस्तावेज का प्रकार		
ख)दस्तावेज नंबर		
ग)समाप्ति की तिथि		
घ)जारी करने वाला देश		
V.चालक दल से संबंधित सूचना		
क)चालक दल के अन्य दस्तावेज कोड *		

ख)चालक दल के अन्य दस्तावेज का नंबर *		
ग)चालक दल के अन्य दस्तावेज की समाप्ति की तिथि *		
घ)चालक दल के अन्य दस्तावेज जारी करने वाला देश *		
ड़)चालक दल के प्रकार *		
VI. विदेशियों के लिए वीजा संबंधी सूचना		
क)वीजा नंबर *		
ख)वीजा जारी करने की तिथि *		
ग)जारी करने का स्थान *		
VII. मैसेज संबंधी सूचना		
क)ईडीआईएफएसीटी वर्जन नंबर		
ख)ईडीआईएफएसीटी रिलीज नंबर		
ग)कैरियर संपर्क सूचना		
घ)कैरियर संपर्क नंबर		
ड़)कैरियर संपर्क फैक्स		
.....द्वारा तैयार किया गया, पृष्ठ .....का.....		

(*) स्टार चिह्न वाले आंकडों के फील्ड अनिवार्य नहीं है।

[फा. सं. 520/12/2009-सीमाशुल्क VI]

बि. कोनथौजम, अवर सचिव

नोट:- मुख्य विनियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1548, दिनांक 23 अक्टूबर, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 3, उपखंड (i) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 75/2005-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 548 (अ) दिनांक 30 अगस्त 2005 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

No. 107/ 2016-Customs (N.T.)

G.S.R.786(E).- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Export Manifest (Aircraft) Regulations, 1976, namely : -

1. (1) These Regulations may be called the Export Manifest (Aircraft) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the e-gazette of India.

2. In the Export manifest (Aircraft) regulations, 1976 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 5,-

(a) for sub- regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) (a) The pre check-in passenger manifest shall be delivered twelve hours before the departure of the flight.

(b) The final passenger manifest shall be delivered fifteen minutes before leaving or taking- off from the port of embarkation in India.";

(b) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The manifests shall be transmitted electronically to the Indian Customs in flat file format or in United Nations/ Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport Passenger List Advance Passenger Information (UN/EDIFACT PAXLST API) message format as per Annexure.";

(c) in sub-regulation (3), after the word "concerned", the following words shall be inserted, namely:-

"Principal Commissioner of Customs or".

3. In the said regulations, after regulation 5 and before FORM NO. I, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE

(i) Flat File Naming Convention:
The structure of file name will be as below:- **160401PJFKDELBY161.api** where

160401	6 digit scheduled Arrival date in YYMMDD format
P/C	P for PAX and C for Crew
JFK	Departure Airport Code (Last Leg port)
DEL	3 character destination airport code (DEL=Delhi)
BY	2/3 digit IATA carrier code
161	3/4 digit IATA flight number
.api	File extension

(ii) File structure Details:
One file structure will contain a complete manifest for Pax/Crew of a particular flight. Separate file for Crew and PAX for each flight needs to be sent.

(iii) Field Details / Description:

S. No.	Field Description	Length	Type	Remarks
1.	Flight Carrier Code	3	Character	IATA Carrier Code
2.	Flight Number	4	Number	3/ 4 digit numeric
3.	Flight Scheduled Departure Date	8	Character	YYYYMMDD
4.	Flight Scheduled Departure Time	4	Character	HHMM
5.	Flight Actual Departure Date	8	Character	YYYYMMDD
6.	Flight Actual Departure Time	4	Character	HHMM
7.	Flight Scheduled Arrival Date	8	Character	YYYYMMDD
8.	Flight Scheduled Arrival Time	4	Character	HHMM
9.	Flight Last Leg Port Outside India	3	Character	IATA Airport Code
10.	Flight First Arrival Port in India	3	Character	IATA Airport Code
11.	Number of Crews in flight	4	Number	0 for PAX file
12.	Number of PAX in flight	4	Number	0 for Crew file
13.	PNR	10	Character	Passenger Name Record Locator
14.	Pax/Crew Serial Number	4	Number	Running Serial Number within the file

15.	Pax/Crew Status	1	Character	T=Transit, D=Disembarking
16.	Pax/Crew Type	3	Character	CRW=Crew PAX=Passenger
17.	Document Type	2	Character	P=Passport, O=Others
18 #	Document Number	20	Character	Passport Number/ Unique ID Number for other travel documents
19	Document Expiry Date	8	Character	YYYYMMDD
20.	Document Issue Country	3	Character	3-char Country Code
21.	Pax/Crew Name	100	Character	As appears in Passport / other travel document
22.	Pax/Crew Date of Birth	8	Character	YYYYMMDD
23.	Pax/Crew Nationality	3	Character	3-char Country Code
24.	Pax/Crew Gender	1	Character	M/F
25.	Pax/Crew Embark Airport	3	Character	IATA Airport Code
26.	Pax/Crew Disembark Airport	3	Character	IATA Airport Code
27.	Pax/Crew Disembark Address	40	Character	Address of PAX at Disembarking country (e.g. House / Flat No, Street etc.)
28.	Pax/Crew Disembark City	35	Character	Airport Name of Disembarking City
29.	Pax/Crew Disembark Postal Code	9	Character	Postal Code of Disembark address
30	Pax/Crew Disembark Country	3	Character	3-char country code of disembarking country
31.	Pax/Crew Residential Country code	3	Character	3-char country code
32.	Subsequent Place / Port of Call within the Country	3	Character	IATA Airport Code
33.	Crew Other Document Code	2	Character	Only in case of CREW, For License code L
34.	Crew Other Document Number	20	Character	CREW License Number
35.	Crew Other Document Expiry Date	8	Character	Date of expiry of License in YYYYMMDD format
36.	Crew Other Document Issue Country	3	Character	3-char country code where license has been issued
37.	Crew Type	3	Character	3-char CREW type as mentioned in UN/EDIFACT
38.	Pax/ Crew Home Address	70	Character	Address of Home place (e.g. House/Flat No, Street name and number etc.)
39.	Pax/ Crew Home City	70	Character	Home city name
40.	Pax/ Crew Home State	70	Character	Home State name
41.	Pax/ Crew Home Country	3	Character	3-char country code
42	Pax/ Crew Birth Place	70	Character	Address of Birthplace (e.g. House/Flat No, Street name and number etc.)
43.	Pax/ Crew Birth City	70	Character	City name of birth place
44.	Pax/ Crew Birth State	70	Character	Birth place State name
45.	Pax/ Crew Birth Country	3	Character	3-char country code of birth address
46.	Visa Number	15	Character	Visa Number as in Travel Document
47.	Pax/Crew Visa Issue Date	8	Character	YYYYMMDD

48.	Pax/Crew Visa Issue Place	50	Character	VISA issue place
49.	EDIFACT Version Number	10	Character	Version Number of US/UN EDIFACT
50.	EDIFACT Release Number	10	Character	Release Number of US/UN EDIFACT
51.	Carrier Contact Information	50	Character	Name of the nodal officer of the carrier to contact
52.	Carrier Contact Number	50	Character	Phone numbers of the contact person
53.	Carrier Contact Fax	50	Character	FAX numbers of the contact person

#The passport number is not mandatory for some countries viz. currently for Nepal and Bhutan and in those cases 'O'(other) value to be mentioned in the document type and Unique Document number be provided.

• Each data element should be separated by '|' (pipe line) in the record (Total 53 no. of '|' should be there in each record)

• In case of value not available for a specific data element, null value (not space) should be given.

• Each record for PAX should be in a single line, no line separator is required.

Example of structure of file for PAX only

B Y | 1 6 1 | 2 0 16 0 4 0 1 | 1 0 1 0 | | | 2 0 16 0 4 0 2 | 0 7 4 5 | L H R | D E L | 0 | 1 6 0 | H K 2 5 6 L | 2 0 | D | P A X | P | A 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 0 0 4 0 1 | G B R | J O H N D S O N | 7 5 0 5 0 6 | G B R | M | J F K | D E L | | | |

b. destination airport		
c. passenger name record locator		
d. address in India*		
e. residence country code*		
IV. Travel document information:		
a. document type		
b. document number		
c. expiry date		
d. country of issue		
V. Crew related information		
a. crew other document code*		
b. crew other document number*		
c. crew other document expiry date*		
d. crew other document issue country*		
e. crew type*		
VI. Visa related information for foreigners		
a. visa number *		
b. visa issue date*		
c. place of issue*		
VII. Message related information		
a. EDIFACT version number		
b. EDIFACT release number		
c. Carrier contact information		
d. Carrier contact number		
e. Carrier contact fax		
Prepared by.....Page.....of.....pages."		

***The data fields with (*) mark are not mandatory.**

[F. No. 520/12/2009-CusVI]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in Part I, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification under G.S.R 1548 dated 23rd October, 1976 and were last amended *vide* notification No. 75/2005-Customs (N.T.) dated the 30th August, 2005, *vide* number G.S.R. 548(E) dated the 30th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

सं .108 /2016-सीमाशुल्क (एनटी)

सा.का.नि. 787(अ).-सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतदद्वारा आयात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) विनियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को आयात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से ये प्रभावी होंगे।

2. आयात मैनीफेस्ट (एयरक्राफ्ट) विनियमावली, 1976 (एतदपश्चात उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 5 में, -

क. उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(1) भारत से बाहर स्थित प्रस्थान के पत्तन से क्लोजर तथा फ्लाइट के प्रस्थान से 15 मिनट पहले यात्रियों को मैनीफेस्ट दिया जाएगा।

(ख) उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(2) मैनीफेस्ट को भारतीय सीमाशुल्क को या तो फ्लैट फाइल फार्मेट या यूनाइटेड नेशंस/प्रशासन, वाणिज्य तथा परिवहन यात्री सूची, अग्रिम यात्री सूचना हेतु इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (यूएन/ईडीआईएफएसीटी पैक्स एलएसटी एपीआई) मैसेज फार्मेट में अनुबंध के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से भेज दिया जाएगा".

(ग) उप विनियम (3) में शब्द ''संबंधित'' शब्द के पश्चात निम्नलिखित शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'' प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क अथवा ''

3.उक्त विनियमों में, विनियम 5 के पश्चात तथा फार्म । से पहले निम्नलिखित अनुबंध को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

अनुबंध

(i). फ्लैट फाइल नेमिंग कंवेंशन:

फाइल के नाम की संरचना निम्नानुसार होगी:- **160401पीजेएफकेडीईएलबीवाई161.एपीआई** जहां

160401	वर्ष/महीना/दिन फार्मेट में 6 डिजिट की निर्धारित प्रस्थान तिथि
पी/सी	पैक्स के लिए पी तथा चालक दल के लिए सी
जेएफके	प्रस्थान एयरपोर्ट कोड (अंतिम लैग पोर्ट)
डीईएल	3 अंकों का गंतव्य एयरपोर्ट कोड (डीईएल = दिल्ली)
बीवाई	2/3 डिजिट आईएटीए कैरियर कोड
161	3/4 डिजिट आईएटीए फ्लाइट नंबर
.एपीआई	फाइल एक्सटेंशन

(ii) फाइल संरचना ब्यौरा:

एक फाइल संरचना में एक विशेष फ्लाइट के पैक्स /चालक दल के लिए पूरा मैनीफेस्ट शामिल होगा। प्रत्येक फ्लाइट के लिए चालक दल तथा पैक्स के लिए अलग से फाइल भेजने की आवश्यकता है।

(iii). फील्ड का ब्यौरा / विवरण:

क्रम सं.	फील्ड का विवरण	लंबाई	प्रकार	टिप्पणी
1.	फ्लाइट कैरियर कोड	3	कैरेक्टर	आईएटीए कैरियर कोड
2.	फ्लाइट नंबर	4	नंबर	3/ 4 डिजिट अंकीय
3.	फ्लाइट की निर्धारित प्रस्थान की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
4.	फ्लाइट के निर्धारित प्रस्थान का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
5.	फ्लाइट के वास्तविक प्रस्थान की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
6.	फ्लाइट के वास्तविक प्रस्थान का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
7.	फ्लाइट के निर्धारित आगमन की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
8.	फ्लाइट के निर्धारित आगमन का समय	4	कैरेक्टर	घंटे/मिनट
9.	भारत से बाहर फ्लाइट लास्ट लेग पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
10.	भारत में फ्लाइट के आगमन का प्रथम पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
11.	फ्लाइट में चालक दल की संख्या	4	नंबर	पैक्स फाइल हेतु 0

12.	फ्लाइट में पैक्स की संख्या	4	नंबर	चालक दल फाइल हेतु 0
13.	पीएनआर	10	कैरेक्टर	यात्रियों के नाम का रिकार्ड लोकेटर
14.	पैक्स /चालक दल की क्रम संख्या	4	नंबर	फाइल के अंदर क्रमानुसार क्रम संख्या
15.	पैक्स /चालक दल की स्थिति	1	कैरेक्टर	टी=पारगमन, डी=जहाज से उतरना
16.	पैक्स /चालक दल का प्रकार	3	कैरेक्टर	सीआरडब्ल्यू=चालक दल पैक्स =यात्री
17.	दस्तावेजों का प्रकार	2	कैरेक्टर	पी=पासपोर्ट, ओ=अन्य
18 #	दस्तावेज नंबर	20	कैरेक्टर	अन्य यात्रा दस्तावेजों के लिए पासपोर्ट नंबर/यूनिक आईडी नंबर
19	दस्तावेज समाप्ति की तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
20.	दस्तावेज जारी करने वाला देश	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
21.	पैक्स /चालक दल का नाम	100	कैरेक्टर	पासपोर्ट/अन्य यात्रा दस्तावेज के अनुसार
22.	पैक्स /चालक दल की जन्म तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
23.	पैक्स /चालक दल की राष्ट्रीयता	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
24.	पैक्स /चालक दल का लिंग	1	कैरेक्टर	महिला/पुरूष
25.	पैक्स /चालक दल एंबार्क एयरपोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
26.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क एयरपोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
27.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का पता	40	कैरेक्टर	उस देश में पैक्स का पता जहां जहाज उतरता है(उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नंबर आदि)
28.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का शहर	35	कैरेक्टर	उस देश के विमान पत्तन का नाम, जहां जहाज उतरता है
29.	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का पोस्टल कोड	9	कैरेक्टर	उस स्थान के पते का पोस्टल कोड, जहां जहाज उतरता है
30	पैक्स /चालक दल डिस्एंबार्क का देश	3	कैरेक्टर	उस देश का 3-कैरेक्टर कंट्री कोड, जहां जहाज उतरता है
31.	पैक्स /चालक दल का रिहायशी देश कोड	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
32.	देश से बाहर अवस्थित कॉल का बाद का स्थान/पोर्ट	3	कैरेक्टर	आईएटीए एयरपोर्ट कोड
33.	चालक दल का अन्य दस्तावेज कोड	2	कैरेक्टर	केवल चालक दल के मामले में, लाइसेंस कोड के लिए एल
34.	चालक दल की अन्य दस्तावेज संख्या	20	कैरेक्टर	चालक दल लाइसेंस नंबर
35.	चालक दल के अन्य दस्तावेज की समाप्ति तिथि	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन फार्मेट में लाइसेंस की समाप्ति की तिथि
36.	चालक दल के अन्य दस्तावेज को जारी करने वाला देश	3	कैरेक्टर	लाइसेंस जारी करने वाले 3-कैरेक्टर कंट्री का कोड
37.	चालक दल का प्रकार	3	कैरेक्टर	यूएन/ईडीआईएफएसीटी में उल्लिखित 3-कैरेक्टर चालक दल का प्रकार

38.	पैक्स /चालक दल का घर का पता	70	कैरेक्टर	गृह स्थान का पता (उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नाम और नंबर आदि)
39.	पैक्स /चालक दल का गृह नगर	70	कैरेक्टर	गृह नगर का नाम
40.	पैक्स /चालक दल का गृह राज्य	70	कैरेक्टर	गृह राज्य का नाम
41.	पैक्स /चालक दल का मूल देश	3	कैरेक्टर	3-कैरेक्टर कंट्री कोड
42	पैक्स /चालक दल का जन्म स्थान	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान का पता (उदाहरणार्थ- मकान/फ्लैट नंबर, गली का नाम और नंबर आदि)
43.	पैक्स /चालक दल के जन्म का शहर	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान के शहर का नाम
44.	पैक्स /चालक दल के जन्म का राज्य	70	कैरेक्टर	जन्म स्थान के राज्य का नाम
45.	पैक्स /चालक दल का मूल देश	3	कैरेक्टर	जन्म के पते का 3-कैरेक्टर कंट्री कोड
46.	वीजा नंबर	15	कैरेक्टर	यात्रा दस्तावेज में दिया गया वीजा नंबर
47.	पैक्स /चालक दल को वीजा जारी करने की तारीख	8	कैरेक्टर	वर्ष/महीना/दिन
48.	पैक्स /चालक दल को वीजा जारी करने का स्थान	50	कैरेक्टर	वीजा जारी करने का स्थान
49.	ईडीआईएफएसीटी वर्जन नंबर	10	कैरेक्टर	यूएस/यूएनईडीआईएफएसीटी का वर्जन नंबर
50.	ईडीआईएफएसीटी रिलीज नंबर	10	कैरेक्टर	यूएस/यूएनईडीआईएफएसीटी का रिलीज नंबर
51.	कैरियर संपर्क सूचना	50	कैरेक्टर	संपर्क करने के लिए कैरियर के नोडल अधिकारी का नाम
52.	कैरियर संपर्क नंबर	50	कैरेक्टर	संपर्क करने वाले व्यक्ति का फोन नंबर
53.	कैरियर संपर्क फैक्स	50	कैरेक्टर	संपर्क करने वाले व्यक्ति का फैक्स नंबर

#कुछ देशों अर्थात वर्तमान में नेपाल और भूटान के लिए पासपोर्ट नंबर अनिवार्य नहीं है और उन मामलों में दस्तावेज प्रकार में **'ओ'** (अन्य) मूल्य को उल्लिखित किया जाए तथा यूनिक दस्तावेज नंबर दिया जाए।

• रिकार्ड में '।' (पाइपलाइन) द्वारा आंकड़ों के प्रत्येक घटक को अलग किया जाए (प्रत्येक रिकार्ड में कुल 53 '।' (पाइपलाइन) होनी चाहिए।

• आंकड़ों के विशिष्ट घटक के संबंध में मूल्य उपलब्ध न होने के मामले में शून्य मूल्य (स्पेस नहीं) दिया जाए।

• पैक्स के लिए प्रत्येक रिकार्ड एक सिंगल लाइन में हो, लाइन विभाजक की आवश्यकता नहीं है।

केवल पैक्स के लिए फाइल की संरचना का उदाहरण

B Y | 1 6 1 | 2 0 1 6 0 4 0 1 | 1 0 1 0 | | | 2 0 1 6 0 4 0 2 | 0 7 4 5 | L H R | D E L | 0 | 1 6 0 | H K 2 5 6 L | 2 0 | D |
P A X | P | A 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 0 0 4 0 1 | G B R | J O H N D S O N | 7 5 0 5 0 6 | G B R | M | J F K | D E L | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J M A R T I N | 9 1 1 1 2 7 4 6 8 8 2 3 | | |

(iv) यूनाइटेड नेशंस/प्रशासन, वाणिज्य तथा परिवहन यात्री सूची, अग्रिम यात्री सूचना हेतु इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (यूएन/ईडीआईएफएसीटी पैक्स एलएसटी एपीआई) मैसेज फार्मेट में सूचना भेजने के लिए एयरलाइंस/कैरियर्स डब्ल्यूसीओ/आईएटीए/आईसीएओ पैसेंजर्स लिस्ट मैसेज (पैक्स एलएसटी) कार्यान्वयन गाइड (www.wcoomd.org) का संदर्भ लें।

4. उक्त विनियमों में, फार्म ।। के स्थान पर निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"फार्म II

(विनियम 3 देखें)

पैसेंजर मैनीफेस्ट

मालिक/ऑपरेटर.....राष्ट्रीयता और पंजीकरण के चिह्न.....

फ्लाइट नं.....दिनांक.....

प्रस्थान स्थल .....उतरने का स्थल.....

(स्थान और देश) (स्थान और देश)

"I. फ्लाइट की सूचना :	केवल मालिक/ऑपरेटर के प्रयोग के लिए	केवल सरकारी उपयोग के लिए
क)एयरलाइन कैरियर कोड और फ्लाइट नंबर		
ख)प्रस्थान एयरपोर्ट		
ग)निर्धारित प्रस्थान तिथि और समय		
घ)वास्तविक प्रस्थान की तिथि और समय *		
ड.) आगमन एयरपोर्ट		
च) निर्धारित आगमन तिथि और समय		
छ) देश के भीतर अवस्थित कॉल का बाद का पोर्ट		
ज) फ्लाइट में चालक दल की संख्या		
झ) फ्लाइट में यात्रियों की संख्या		
II. यात्रियों की सूचना :		
क)मैनीफेस्ट में क्रम संख्या		
ख)गुजरने या उतरने की स्थिति		
ग)यात्रियों का नाम		
घ)लिंग		
ड)जन्मतिथि		
च)राष्ट्रीयता		
छ)देश में प्रारंभिक निवास का पता		
ज)जन्म स्थान		
झ)जन्म का पता *		
III. यात्रा की सूचना :		
क)यात्रा शुरू करने वाला एयरपोर्ट		
ख)गंतव्य एयरपोर्ट		
ग)यात्रियों के नाम रिकार्ड करने का लोकेटर		
घ)भारत में रहने का पता *		
ड)रिहायशी देश का कोड *		
IV. यात्रा दस्तावेज की सूचना :		
क)दस्तावेज का प्रकार		
ख)दस्तावेज नंबर		
ग)समाप्ति की तिथि		
घ)जारी करने वाला देश		
V.चालक दल से संबंधित सूचना		
क)चालक दल के अन्य दस्तावेज कोड *		
ख)चालक दल के अन्य दस्तावेज का नंबर *		
ग)चालक दल के अन्य दस्तावेज की समाप्ति की तिथि *		
घ)चालक दल के अन्य दस्तावेज जारी करने वाला देश *		
ड)चालक दल के प्रकार *		

VI. विदेशियों के लिए वीजा संबंधी सूचना		
क)वीजा नंबर *		
ख)वीजा जारी करने की तिथि *		
ग)जारी करने का स्थान *		
VII. मैसेज संबंधी सूचना		
क)ईडीआईएफएसीटी वर्जन नंबर		
ख)ईडीआईएफएसीटी रिलीज नंबर		
ग)कैरियर संपर्क सूचना		
घ)कैरियर संपर्क नंबर		
ड़)कैरियर संपर्क फैक्स		
.....द्वारा तैयार किया गया, पृष्ठ .....का.....		

(*) स्टार चिह्न वाले आंकडों के फील्ड अनिवार्य नहीं है।

[फा. सं. 520/12/2009-सीमाशुल्क VI]

बि. कोनथौजम, अवर सचिव

नोट:- मुख्य विनियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1550, दिनांक 23 अक्टूबर, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 3, उपखंड (i) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 74/2005-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 547 (अ) दिनांक 30 अगस्त 2005 के द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the11th August, 2016

No. 108/ 2016-Customs (N.T.)

G.S.R.787(E).- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Import Manifest (Aircraft) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the e-gazette of India.

2. In the Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 5, -

(a) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The passenger manifest shall be delivered within fifteen minutes of the closure and departure of the flights from the port of embarkation outside India.";

(b) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The manifest shall be transmitted electronically to the Indian Customs either in flat file format or in United Nations/ Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport Passenger List Advance Passenger Information (UN/EDIFACT PAXLST API) message format as per Annexure.";

(c) in sub-regulation (3), after the word "concerned", the following words shall be inserted, namely:-

"Principal Commissioner of Customs or".

3. In the said regulations, after regulation 5 and before FORM I, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE

(i) Flat File Naming Convention:

The structure of file name will be as below:- **160401PJFKDELBY161.api** where

160401	6 digit scheduled Arrival date in YYMMDD format
P/C	P for PAX and C for Crew
JFK	Departure Airport Code (Last Leg port)
DEL	3 character destination airport code (DEL=Delhi)
BY	2/3 digit IATA carrier code
161	3/4 digit IATA flight number
.api	File extension

(ii) File structure Details:
One file structure will contain a complete manifest for Pax/Crew of a particular flight. Separate file for Crew and PAX for each flight needs to be sent.

(iii) Field Details / Description:

S. No.	Field Description	Length	Type	Remarks
1.	Flight Carrier Code	3	Character	IATA Carrier Code
2.	Flight Number	4	Number	3/ 4 digit numeric
3.	Flight Scheduled Departure Date	8	Character	YYYYMMDD
4.	Flight Scheduled Departure Time	4	Character	HHMM
5.	Flight Actual Departure Date	8	Character	YYYYMMDD
6.	Flight Actual Departure Time	4	Character	HHMM
7.	Flight Scheduled Arrival Date	8	Character	YYYYMMDD
8.	Flight Scheduled Arrival Time	4	Character	HHMM
9.	Flight Last Leg Port Outside India	3	Character	IATA Airport Code
10.	Flight First Arrival Port in India	3	Character	IATA Airport Code
11.	Number of Crews in flight	4	Number	0 for PAX file
12.	Number of PAX in flight	4	Number	0 for Crew file
13.	PNR	10	Character	Passenger Name Record Locator
14.	Pax/Crew Serial Number	4	Number	Running Serial Number within the file
15.	Pax/Crew Status	1	Character	T=Transit, D=Disembarking
16.	Pax/Crew Type	3	Character	CRW=Crew PAX=Passenger
17.	Document Type	2	Character	P=Passport, O=Others
18 #	Document Number	20	Character	Passport Number/ Unique ID Number for other travel documents
19	Document Expiry Date	8	Character	YYYYMMDD
20.	Document Issue Country	3	Character	3-char Country Code
21.	Pax/Crew Name	100	Character	As appears in Passport / other travel document
22.	Pax/Crew Date of Birth	8	Character	YYYYMMDD
23.	Pax/Crew Nationality	3	Character	3-char Country Code
24.	Pax/Crew Gender	1	Character	M/F

25.	Pax/Crew Embark Airport	3	Character	IATA Airport Code
26.	Pax/Crew Disembark Airport	3	Character	IATA Airport Code
27.	Pax/Crew Disembark Address	40	Character	Address of PAX at Disembarking country (e.g. House / Flat No, Street etc.)
28.	Pax/Crew Disembark City	35	Character	Airport Name of Disembarking City
29.	Pax/Crew Disembark Postal Code	9	Character	Postal Code of Disembark address
30	Pax/Crew Disembark Country	3	Character	3-char country code of disembarking country
31.	Pax/Crew Residential Country code	3	Character	3-char country code
32.	Subsequent Place / Port of Call within the Country	3	Character	IATA Airport Code
33.	Crew Other Document Code	2	Character	Only in case of CREW, For License code L
34.	Crew Other Document Number	20	Character	CREW License Number
35.	Crew Other Document Expiry Date	8	Character	Date of expiry of License in YYYYMMDD format
36.	Crew Other Document Issue Country	3	Character	3-char country code where license has been issued
37.	Crew Type	3	Character	3-char CREW type as mentioned in UN/EDIFACT
38.	Pax/ Crew Home Address	70	Character	Address of Home place (e.g. House/Flat No, Street name and number etc.)
39.	Pax/ Crew Home City	70	Character	Home city name
40.	Pax/ Crew Home State	70	Character	Home State name
41.	Pax/ Crew Home Country	3	Character	3-char country code
42	Pax/ Crew Birth Place	70	Character	Address of Birthplace (e.g. House/Flat No, Street name and number etc.)
43.	Pax/ Crew Birth City	70	Character	City name of birth place
44.	Pax/ Crew Birth State	70	Character	Birth place State name
45.	Pax/ Crew Birth Country	3	Character	3-char country code of birth address
46.	Visa Number	15	Character	Visa Number as in Travel Document
47.	Pax/Crew Visa Issue Date	8	Character	YYYYMMDD
48.	Pax/Crew Visa Issue Place	50	Character	VISA issue place
49.	EDIFACT Version Number	10	Character	Version Number of US/UN EDIFACT
50.	EDIFACT Release Number	10	Character	Release Number of US/UN EDIFACT
51.	Carrier Contact Information	50	Character	Name of the nodal officer of the carrier to contact
52.	Carrier Contact Number	50	Character	Phone numbers of the contact person
53.	Carrier Contact Fax	50	Character	FAX numbers of the contact person

#The passport number is not mandatory for some countries viz. currently for Nepal and Bhutan and in those cases 'O'(other) value to be mentioned in the document type and Unique Document number be provided.

• Each data element should be separated by '|' (pipe line) in the record (Total 53 no. of '|' should be there in each record)
• In case of value not available for a specific data element, null value (not space) should be given.
• Each record for PAX should be in a single line, no line separator is required.

Example of structure of file for PAX only
B Y | 1 6 1 | 2 0 16 0 4 0 1 | 1 0 1 0 | | | 2 0 16 0 4 0 2 | 0 7 4 5 | L H R | D E L | 0 | 1 6 0 | H K 2 5 6 L | 2 0 | D | P A X | P | A 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 0 0 4 0 1 | G B R | J O H N D S O N | 7 5 0 5 0 6 | G B R | M | J F K | D E L | | |

a. crew other document code*		
b. crew other document number*		
c. crew other document expiry date*		
d. crew other document issue country*		
e. crew type*		
VI. Visa related information for foreigners		
a. visa number *		
b. visa issue date*		
c. place of issue*		
VII. Message related information		
a. EDIFACT version number		
b. EDIFACT release number		
c. Carrier contact information		
d. Carrier contact number		
e. Carrier contact fax		
Prepared by.....Page.....of.....pages."		

*The data fields with (*) mark are not mandatory.

[F. No. 520/12/2009-CusVI]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in Part I, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification under G.S.R 1550 dated 23rd October, 1976 and were last amended *vide* notification No. 74/2005-Customs (N.T.) dated the 30th August, 2005, *vide* number G.S.R. 547(E) dated the 30th August, 2005.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.